न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,ट - (152/2017)

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

राजकीय प्रयोजन

प्रकरण संख्या 12 / 2017

पंजीयन दिनांक 07 07 2017

1- सूरज पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राज

2--गोमा पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राज — (मृतक)

2/1 श्रीमति गीता देवी पत्नि गौगा जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राज.

2/2 गिरीराज पुत्र गौगा जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राज

2/3 मुकेश पुत्र गौगा जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तह0मालपुरा, जिला टोंक

3--गोपाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम महाराजपुरा, तह0 मालपुरा, जिला टोंक राज ......प्रार्थीगण

बनाम

1--भू-आवटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

2--अम्बालाल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राज.

3-- रामफूल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

4--रामअवतार पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

5--हरिराम पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

6--मनफूली पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

7--नर्बदा पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 14(4) भू-आवंटन नियम बाबत निरस्त करने आवंटन दिनांक 01.05.1986 भू-आवटन सलाहकार समिति कैम्प अलियारी

उपस्थिति : (1) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

(3) श्री शिवजीराम चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता.7

निर्णय दिनांक 20-7-2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01 05 1986 को बन्ना पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी मोतीपुरा

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर

टोंक राज0 ।

कार्यालय जिला कले0

टोंक

को आ0ख0न0 35 हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 है0खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 भूमि वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील टोंडारायसिह में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एव नियमो के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2ता. 7 ने जवाब पेश किया कि भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से उदघोषणा जारी करते हुए एंव उससे पूर्व आवंटन योग्य भूमि की रिपोर्ट मंगवाई जाकर विधिवत रूप से बन्ना पुत्र रामसुख के नाम उक्त भूमि का आंवटन किया गया है। आवंटन से पूर्व भी आवंटित भूमि जो सिवायचक भूमि के रूप मे थी, उस पर बन्ना पुत्र रामसुख के परिजनो अम्बालाल पि0मु0 नारायण व श्योकरण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी मोतीपुरा का ही कब्जा एव काश्त अतिकमी के रूप मे चला आ रहा था। आवेदकगण का आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता ही नही है। आवंटी लाऔलाद फौत 17 वर्ष पहले हो चुका है,जिनके परिवार का शजरा निम्नानुसार है। रामसुख व छीतर दोनो सगे भाई थे। रामसुख के संतान के रूम मे बन्ना पुत्र संतान पैदा हुआ एंव छीतर के नारायण व श्योकरण पैदा हुए जिनमे नारायण भी लाऔलाद फौत हो गया, उसके हिस्से की भूमि श्योकरण के नाम ही अंकित हुई एंव श्योकरण के पुत्र किशनलाल एंव पुत्री गंगा पैदा हुई और किशनलाल के अम्बालाल,रामफूल,रामअवतार,हरिराम,मनफूली पैदा हुई एव नर्बदा विधवा किशनलाल है। अलांटी बन्ना को आवंटित हुए भूमि को काननून अपने नाम अंकित करवाने के अधिकारी होने की वजह से ही उनकी मृत्युपरांत यह भूमि उनके नाम विधिवत रूप से अंकेत हुई है। आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन व्यक्ति था। आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई तथ्य नही छिपाये गये है। आवटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवटन शर्तो की पालना की है। आवटित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 ता. 7 का ही अलाटी बन्ना की मृत्युपरांत बदस्तूर लगातार वास्तविक रूप से कब्जा चला आ रहा है। आवटन 34 साल से भी अधिक समय पुराना है। प्रार्थीगण कानूनन हितबद्व व्यक्ति भी नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 35 हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 है0,खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील टोडारायसिह मे स्थित है। उक्त भूमि को विपक्षी संख्या–1 द्वारा दिनांक 01.05.1986 को भू–आवंटन सलाहकार समिति केम्प अलियारी मे बन्ना पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी मोतीपुरा के नाम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। भूमि आवंटित करते समय भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार की ना तो कोई उदघोषणा जारी की गई और ना ही किसी प्रकार की मौके की जांच कर उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। आवंटित भूमि आवंटन से पूर्व से ही आदेवकगण के कब्जे मे निरंतर,निर्बाध रूप से चली आ रही है। उक्त भूमि पर आवेदकगण ने आवंटन के पूर्व से ही अपने बाडे आदि बना रखे है और उक्त आवटित सम्पूर्ण भूमि उनके आधिपत्य मे चली आ रही है। आवटन की तिथि से लेकर आज तक कभी भी उक्त भूमि पर बन्ना पुत्र रामसुख का कोई कब्जा नही रहा।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

आवेदकगण का उक्त भूमि पर विगत 40–50 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है। उन्हे कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नही किया गया है, इसलिए बरवक्त आवटन उक्त भूमि आवटन योग्य भूमि नही थी, किंतु फिर भी बन्ना के नाम आवंटित कर भूल की है। भूमि का आवटन बन्ना पुत्र रामसुख के नाम किया गया था जो लाओलाद फौत हुआ है। विपक्षी सं. 2 ता 7 ने बन्ना की लाओलादी का फायदा उठाते हुए उसकी मृत्यु के बाद गलत रूप से उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करा लिया,जबकि उन्हे किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। उक्त भूमि पर विपक्षी सं. 2 ता 7 का कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। बरवक्त आवंटन बन्ना पुत्र रामसुख भूमिहीन काश्तकार नहीं था,उसके पास 6–7 बीघा के लगभग जमीन थी, किंतु फिर भी उसे भूमिहीन काश्तकार मानकर उक्त आवंटन किया गया है।आवंटी ने आवटन सलाहकार समिति से फ्रॉड करके वास्तविक तथ्यों को छिपाकर तथाकथित आवटन कराया है। अतः आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अप्रार्थी सख्या 2 ता. 7 ने प्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष बेदखली का वाद कर रखा है जिससे जाहिर है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 ता. 7 का कब्जा नही है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1985 पृष्ठ संख्या 33 उद्वरित किये है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 ता. 7 ने दौराने बहस निवेदन किया कि भू–आवटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से उदघोषणा जारी करने के उपरान्त ही आवटन योग्य भूमि की रिपोर्ट मगवाई जाकर विधिवत रूप से बन्ना पुत्र रामसुख के नाम उक्त भूमि का आवटन किया गया है। आवटन से पूर्व भी आवंटित भूमि जो सिवायचक भूमि के रूप मे थी, उस पर बन्ना पुत्र रामसुख के परिजनो अम्बालाल पि0मु0 नारायण व श्योकरण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी मोतीपुरा का ही कब्जा एव काश्त अतिकमी के रूप मे चला आ रहा था। आवेदकगण का आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता ही नही है। आवंटी लाऔलाद फौत 17 वर्ष पहले हो चुका है,जिनके परिवार का शजरा निम्नानुसार है। रामसुख व छीतर दोनो सगे भाई थे। रामसुख के संतान के रूम मे बन्ना पुत्र पैदा हुआ एंव छीतर के नारायण व श्योकरण पैदा हुए जिनमे नारायण भी लाऔलाद फौत हो गया, उसके हिस्से की भूमि भी श्योकरण के नाम ही अंकित हुई एंव श्योकरण के पुत्र किशनलाल एंव पुत्री गंगा पैदा हुई और किशनलाल के अम्बालाल,रामफूल,रामअवतार,हरिराम,मनफूली पैदा हुई एंव नर्वदा विधवा किशनलाल है। अलाटी बन्ना को आवंटित हुए भूमि को काननून अपने नाम अंकित करवाने के अधिकारी होने की वजह से ही उनकी मृत्युपरांत यह भूमि उनके नाम विधिवत रूप से अंकित हुई है। आवटन के समय आवंटी भूमिहीन व्यक्ति था। आवटी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई तथ्य नही छिपाये गये है। आवटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। आवटित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 ता. 7 का ही अलांटी बन्ना की मृत्युपरांत बदस्तूर लगातार वास्तविक रूप से कब्जा चला आ रहा है। आवंटन 34 साल से भी अधिक समय पुराना है। प्रार्थीगण काननून हितबद्व व्यक्ति भी नही है। खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 है अप्रार्थी संख्या 2 ता. 7 की खातेदारी तथा खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता. 7 की गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहा विचाराधीन वाद मे सिर्फ खसरा नम्बर 30 व 30/332 का ही जिक है,सम्पूर्ण खसरे का नही है। बेदखली

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

का वाद 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। प्रार्थीगण का अगर कब्जा भी है तो वह अवैधानिक है तथा अतिचारी को कानूनन उक्त सरकारी भूमि/आवटित भूमि बाबत किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 न अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2019 (2) पृष्ट सख्या 838,आर.आर.डी. 2016 पृष्ठ सख्या 163,आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ संख्या 652,आर.आर.टी. 2011 (2) पृष्ट सख्या 1063,आर.आर.डी 2009 पृष्ठ संख्या 99 तथा आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ संख्या 454 उद्वरित किये है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.05.1986 को बन्ना पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी मोतीपुरा को आ0ख0नं0 35 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 बने हैं वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील टोडारायसिह में विधिवत रूप से उदघोषणा जारी करने के उपरान्त आवंटन योग्य भूमि की रिपोर्ट मंगवाई जाकर भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है. वर्तमान मे आवंटित भूमि मे से खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने एसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी बन्ना पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी मोतीपुरा के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 01.05.1986 को बन्ना पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी मोतीपुरा तह0 टोडारायसिंह को आ0ख0नं0 35 हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 है0खसरा नम्बर 30/332 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मोतीपुरा तह0 टोडारायसिंह में भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 20–7–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जि0 कलेक्टर
टोंक (राज0)

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
टोंक